

## हडको आचरण एवं नैतिक संहिता

### प्रस्तावना

यह आचरण संहिता "हडको आचरण एवं नैतिक संहिता" के नाम से जानी जाएगी ।

इस संहिता में हडको "कंपनी" के रूप में संदर्भित है ।

कम्पनी के हाल ही में अनुशासन एवं अपील नियमावली (सीडीए नियमावली) बनायी है। यह आचरण संहिता विशेष रूप से, स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए कम्पनियों के सूचीकरण करार के उपबन्ध 49 के प्रावधानों के अनुपालन में बनाए गए हैं । यह संहिता सीडीए नियमावली के साथ पढी जानी है ।

### दर्शन

कंपनी ऐसे नैगमिक शासन क्रियाकलापों को अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध होनी चाहिए जो एक तरफ प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित करती हों और दूसरी तरह राष्ट्र का अधिक से अधिक हित करती हों । कंपनी अपना कार्य-व्यापार आर्थिक विकास तथा राष्ट्र की सरकार के उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप करेगी ।

हम सरकार द्वारा हडको की स्थापना के उद्देश्यों की सुदृढता एवं संरक्षण के लिए पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली तथा संचालन ढाँचा बनाने का प्रगामी रूप से प्रयास करते रहेंगे । हमारा यह भी मानना है कि राष्ट्र की समृद्धि में सेवाएं देने के क्रम में हमें हडको का निर्माण ऐसे संस्थान के रूप में करना चाहिए जिसकी आकांक्षा एवं नवीनता इसके बुनियादी मूल्यों का संवर्द्धन करें ।

### ईमानदारी एवं एकता

कंपनी की ओर से तथा अपने व्यक्तिगत आधार पर सभी निदेशक एवं कार्मिक अपने क्रियाकलाप पूरी ईमानदारी, एकता तथा निष्पक्ष ढंग से करेंगे । सभी निदेशक एवं कार्मिक क्रियाकलापों को अपने स्वतंत्र निर्णय के बिना एवं कंपनी के

श्रेष्ठ हित में तथा उत्तरदायित्वों को पूर्ण ढंग से निभाते हुए पूरे विश्वास, जिम्मेदारी, देखभाल, सक्षमता तथा मेहनत से करेंगे ।

### वित्तीय रिपोर्टिंग एवं रिकॉर्ड

कंपनी अपनी बहियों को, किसी कंपनी के कार्य व्यापार के लिए देश में सामान्यतः स्वीकृत दिशा-निर्देशों, सिद्धांतों, मानकों, विधियों एवं विनियामकों के प्रतिनिधित्वकर्ता लेखाकरण एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप सही ढंग से एवं यथार्थपूर्ण तरीके से बनाएगा और रखेगा ।

आंतरिक लेखागणना एवं लेखा प्रक्रियाएँ कंपनी के सभी व्यापारिक लेन-देन एवं परिसंपत्तियों के निपटान को सही ढंग से एवं यथार्थपूर्ण तरीके से प्रतिबिम्बित करेंगी । सभी अपेक्षित सूचनाएँ कंपनी के लेखा परीक्षकों तथा अन्य प्राधिकृत पक्षों तथा सरकारी अभिकरणों के उपलब्ध कराई जाएगी । बहियों एवं अभिलेखों में कंपनी के लेन-देन के संबंध में जानबूझ कर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई अग्रिम आय मान्यता नहीं होगी और कोई छिपे बैंक खाते एवं निधियाँ नहीं होंगे ।

वित्तीय लेखों एवं रिपोर्टों पर जानबूझ की गई कोई तात्त्विक गलत प्रस्तुति तथा/अथवा गलत सूचना इस संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और इस पर संबंधित विधियों के अन्तर्गत सिविल अथवा आपराधिक कार्रवाई की जा सकेगी ।

### कंपनी प्रवक्ता

प्रेस, मीडिया अथवा वित्तीय विश्लेषकों की ओर से की गई सभी पूछताछ अथवा कॉल्स, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक वित्त अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक वित्त द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजी जानी चाहिए । कंपनी की ओर से प्रेस को केवल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक वित्त अथवा प्राधिकृत व्यक्ति ही सूचित कर सकते हैं ।

### प्रतस्पर्धा

कंपनी भारत में खुली बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना एवं प्रतिस्पर्धा के समर्थन का पूरा प्रयास करेगी और देश में आवास एवं शहरी विकास की प्रगामी एवं विवेकशील प्रोन्नति को बढ़ावा देने के प्रयासों में सहयोग करेगी । विशेष रूप से कंपनी ऐसी गतिविधियों से नहीं जुड़ेगी जिनसे एकाधिकार एवं प्रभुत्वशाली बाजार स्थिति बनती हो या उसे सहयोग मिलता हो तथा लिखित प्रतिबंध एवं अनुचित व्यापार कार्य व्यापार होते हों । कोई भी प्रतिस्पर्धी सूचना, व्यापार के सामान्य ढंग से ही एकत्रित की जाएगी और उसे केवल विधिक रूप से अनुमति प्राप्त स्रोतों एवं तरीकों से ही प्राप्त किया जाएगा ।

### **समान - अवसर नियोक्ता**

कंपनी, सरकार की नीतियों एवं संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप रोजगार के लिए अपने सभी कर्मचारियों एवं सभी पात्र आवेदकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगी । कंपनी के सभी कर्मचारी भौतिक, मौखिक अथवा मानसिक लैंगिक शोषण से मुक्त कार्य माहौल को बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से एक समान समझे जाएंगे ।

कर्मचारियों की नीतियाँ एवं कार्य इस ढंग से प्रशासित किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र कर्मचारियों को सभी मामलों में समान अवसर उपलब्ध कराए जाएँ और निर्णय वरीयता पर आधारित हों ।

### **हित-मतभेद**

कंपनी के सभी कर्मचारियों को ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए, जिसमें उनके व्यक्तिगत हित, कंपनी के हित से भिन्न हों । यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें व्यापक दिशा-निर्देश देने असंभव होते हैं, परन्तु दिशा-निर्देशक सिद्धांत यह होता है कि कोई भी मतभेद या भावी भिन्नता उच्च प्रबंधन के सम्मुख दिशा-निर्देश एवं समुचित कार्रवाई के लिए अवश्य रखी जानी चाहिए ।

### **लागत जागरूकता**

कोई भी कर्मचारी कंपनी की सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करेगा । नीति अथवा विशेष अनुमति द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए दी गई सुविधाओं को छोड़कर कोई भी कर्मचारी कंपनी सुविधाओं का उपयोग व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नहीं करेगा । कंपनी उद्देश्यों के लिए भी उन सुविधाओं के उपयोग में कर्मचारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि लागतें समुचित हों और कोई नुकसान न हो । कर्मचारी कंपनी खर्च में दिखावटीपन से परहेज करेंगे ।

### उपहार एवं दान

कंपनी तथा इसके कर्मचारी, कंपनी का कारोबारा करने के लिए इसके पक्ष में अप्रतियोगी लाभ लेने की मंशा या उद्देश्य से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भी गैर-कानूनी भुगतान, पारिश्रमिक, उपहार, दान अथवा इसके समतुल्य लाभ न तो प्राप्त करेगा और न ही इनका प्रस्ताव रखेगा या करेगा । तथापि, कंपनी एवं इसके कर्मचारी हड़को सीडीए नियमावली के अनुरूप शादी-ब्याह, वर्षगांठ अथवा धार्मिक समारोह जैसे रीति - रिवाजों के अवसरों पर उपहार स्वीकार कर सकता है या इन्हें दे सकता है ।

### राजनीतिक असहयोग

कंपनी, भारत में एक पारदर्शी एवं निष्पक्ष मतदान प्रणाली वाले तंत्र तथा जनतांत्रिक संविधान को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी एवं उसका समर्थन करेगी । कंपनी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार विशेष को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः सहयोग नहीं देगी । कंपनी किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या कैम्प विशेष को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कंपनी फंड या सम्पत्ति को दान के रूप में नहीं देगा अथवा प्रस्ताव रखेगा ।

### सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण (सुस्वाप अवधारणा)

कंपनी, एक सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य-माहौल प्रदान करने का प्रयास करेगी और अपने क्रियाकलापों को करने में क्षेत्र विशेष के पर्यावरण के संरक्षण संबंधित सभी विनियमों का पालन करेगी ।

नियंत्रित वस्तुओं का दुरुपयोग अथवा बिक्री, उत्पादन, वितरण, स्वामित्व तथा कार्य स्थल पर गैर-कानूनी नशीले पदार्थों एवं शराब का सेवन अथवा उनके प्रभाव में रहना पूरी तरह मना है ।

### कॉर्पोरेट सिटीजनशिप

कंपनी एक बेहतर कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी और न सिर्फ सभी संबंधित विधियों एवं विनियमों का अनुपालन करेगी बल्कि स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने एवं राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य के साथ अपने क्रियाकलापों में समुदाय के लोगों (अर्थात आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों एवं कम आय वर्गों आदि) की जीवन-गुणवत्ता में सुधार लाने में भी क्रियाशील ढंग से सहायता प्रदान करेगी ।

ऐसे सामाजिक दायित्वों में समुदाय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल प्रबंधन, सीवरेज, जल निकासी/सफाई प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, क्षेत्र विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्गों को सुगम बनाना तथा आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्रबंधकीय तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा अनुभव के क्षेत्र में सामुदायिक गतिविधियों को चलाना एवं सहयोग देना शामिल होगा ।

### उपभोक्ता संबंध

हडको के सिटीजन चार्टर के अनुसार हडको अपने उपभोक्ताओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वे संस्था के अस्तित्व का कारण हैं । इसीलिए हडको, हडको के सिटीजन चार्टर में दी गई अन्य वचनबद्धताओं को सुनिश्चित करते हुए तथा समुचित शिकायत रिकॉर्डिंग एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से द्रुत उपभोक्ता सेवा के लिए व्यापक कार्यालय नेटवर्क को उपलब्ध कराते हुए अपने उपभोक्ताओं को समयानुसार, शीघ्र एवं कुशल सेवाएँ देना सुनिश्चित करेगा ।

### अन्य पक्ष अभ्यावेदन

सभी पक्ष हडको को अभ्यावेदन करते समय ऐसे किसी भी कारोबार आचरण एवं नैतिकता को नहीं अपनाएँगे, जिन्हें इन संहिता में असंगत कहा गया है ।

### **नैतिक आचरण**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्ण कालिक निदेशकों सहित कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी, कम्पनी की ओर से अपना कार्य सुविज्ञता, ईमानदारी एवं एकता के साथ-साथ उच्च नैतिकता के साथ करेगा । उसका आचरण निष्पक्ष एवं पारदर्शी होगा और ऐसा ही होगा जिसकी अपेक्षा वह अन्य पक्ष से करता है ।

### **विनियामक अनुपालन**

कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य आचरण में, अपने कार्य में लागू सभी विधियों एवं विनियामकों का शाब्दिक एवं आशयपरक अनुपालन करेगा । यदि लागू विधियों एवं विनियामकों में निर्धारित नैतिक एवं पेशेवर मानक, संहिता मानकों से निम्न स्तर के हैं, तो संहिता के मानक मान्य होंगे ।

### **समवर्ती रोजगार**

कंपनी का कोई कर्मचारी, कंपनी के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति (सीडीए नियमावली में यथा परिभाषित) के बिना प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः हडको की सीडीए नियमावली की शर्त पर, कोई वाणिज्य अथवा कारोबार या कोई अन्य रोजगार नहीं करेगा ।

### **कंपनी परिसंपत्तियों का संरक्षण**

### **सामान्य**

कंपनी की परिसंपत्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए । इनका उपयोग कंपनी का कारोबार करने के उद्देश्य से की गई नियुक्ति के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें विधिवत् प्राधिकृत किया जाता है । इनमें मूर्त परिसंपत्तियाँ जैसे उपकरण एवं मशीनरी, सिस्टम (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर सहित) सुविधाएँ, सामग्रियाँ एवं संसाधन के साथ-साथ अमूर्त परिसंपत्तियाँ जैसे स्वामित्व सूचना, पेटेन्ट तथा संगठन के साथ कारोबार करने वालों के साथ संबंध शामिल है । यदि कंपनी के उपकरण घर पर या कहीं बाहर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो चोरी अथवा क्षति से उनके संरक्षण की पूरी सावधानियाँ बरती जानी चाहिए । यदि कंपनी किसी कर्मचारी को लम्बे समय तक नहीं रखती तो कर्मचारी को सेवाओं की समाप्ति की तिथि के तुरन्त बाद कम्पनी के सभी उपकरण अवश्य वापस कर देने चाहिएँ ।

### **सॉफ्टवेयर**

कंपनी का कारोबार करने के लिए कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी सॉफ्टवेयर समुचित रूप से लाइसेंस युक्त होने चाहिएँ । सॉफ्टवेयर की गैर-कानूनी या अप्राधिकृत कॉपी के प्रयोग से कर्मचारी के खिलाफ हडको सीडीए नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है । सभी कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि गैर लाइसेंस युक्त / सपोर्टेड सॉफ्टवेयर हटा दिए जाएँ ।

### **पारदर्शिता**

हडको अपने प्रचालनों एवं प्रक्रियाओं में पारदर्शिता में विश्वास रखता है और व्यवहार में लाता है । कंपनी के सभी कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि कारोबार सुरक्षा जरूरत के सिवाय कारोबार व्यवहार में उनके कार्य पूरी तरह पारदर्शी हों । ऐसी पारदर्शिता समुचित नीतियों, प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से लाई जाएगी ।

### **गोपनीय सूचना / प्रसार**

किसी परियोजना / सेवाओं की स्थिति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण / सूचना हडको के सिटीजन चार्टर के अनुसार ली जा सकती है । कोई भी कर्मचारी कंपनी में अपने रोजगार से प्राप्त किसी भी गोपनीय सूचना का प्रकटन या उपयोग,

व्यक्तिगत लाभ अथवा किसी व्यक्ति के फायदे के लिए नहीं करेगा । कोई भी कर्मचारी प्रेस अथवा किसी भी अन्य प्रचार मीडिया को औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराएगा, बशर्ते अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक वित्त उसे ऐसा करने के लिए विशेष तौर पर प्राधिकृत करें ।

### रिपोर्टिंग संबंध

कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी इस संहिता के किसी वास्तविक अथवा संभावित उल्लंघन, अथवा कंपनी की प्रतिष्ठा अथवा कारोबार को प्रभावित कर सकने वाले किसी कार्य/गतिविधि की सूचना, प्रबंधन को तुरन्त देगा ।

### विधिक अनुपालन

विधिक तथा विनियामक अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों तथा क्षेत्रीय प्रमुखों की है । कंपनी ऐसे कार्यों को स्वीकार नहीं कर सकती, जो गैर-कानूनी हों या जिनसे कंपनी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंच सकती हो । कंपनी के कारोबार एवं अस्मिता को प्रभावशाली बनाने वाली विधिक एवं विनियामक अर्हताओं तथा विधिक माहौल में विकास के प्रति जिम्मेदारी का वहन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा । विधिक निहितार्थ स्पष्ट न होने की दशा में की जाने वाली कार्रवाई उत्कृष्ट विधिक परामर्श से ही की जानी चाहिए, जिनकी मत-अभिव्यक्ति लिखित रिकार्ड में की जानी चाहिए ।

### भ्रष्टाचार निवारण

कंपनी अपने सभी कर्मचारियों, एजेंटों तथा उपभोक्ताओं द्वारा किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के निवारण के उद्देश्य से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी । इसके अतिरिक्त हडको के उपभोक्ता/उधारकर्ता, हडको के सिटीजन चार्टर के अनुसार किसी भी "भ्रष्टाचार पद्धति" तथा "धोखाधड़ी पद्धति" को नहीं अपनाएँगे ।



## जवाबदेही

निदेशक मंडल, हडको की सामान्य कारोबार प्रक्रिया के दौरान नैतिक एवं विधिक मानकों के प्रति कंपनी की अनुपालना की निगरानी रखेगा । कंपनी के सभी कर्मचारी तथा निदेशक मंडल के सदस्य, कंपनी के कर्मचारियों, प्रणाली तथा कंपनी की ख्याति को क्षति पहुंचा सकने वाले कार्यों को रोकने अथवा उनके निवारण की शपथ लेंगे ।

## नए निदेशक (कों) के लिए संहिता

यह आचरण संहिता में समय-समय पर निदेशक-पद धारण करने वाले नए निदेशक (कों) पर समान रूप से लागू होंगी ।

## संहिता को आवधिक समीक्षा

निदेशक मण्डल नियमित अवधि पर इस आचरण संहिता की समीक्षा करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें विधि/विनियामक परिवेश में हुए परिवर्तन प्रतिलक्षित हों और इसमें वर्तमान चिन्तनशील मामलों पर समुचित जोर दिया जाए ।

## अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ

इस आचरण एवं नैतिक संहिता में विचार किए गए सभी मामले कंपनी, इसके कर्मचारियों, सरकार तथा कंपनी के कारोबार भागीदारों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं तथा कंपनी के कथित मूल्यों के अनुसार कंपनी के कारोबार निष्पादन में कंपनी की सक्षमता के लिए अनिवार्य हैं । हम मानते हैं कि कंपनी के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह करने में हमारे सभी कर्मचारी इन नियमों का पालन करें । कंपनी, कंपनी की इन नीतियों अथवा अन्य नीतियों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी के खिलाफ हडको सीडीए नियमावली के अनुसार समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी ।

हडको आचरण एवं नैतिक संहिता की प्राप्ति की स्वीकारोक्ति :-

मैंने कंपनी की आचरण एवं नैतिक संहिता प्राप्त कर ली है और पढ़ ली है । मैंने कंपनी की आचरण एवं नैतिक संहिता में दिए गए मानकों एवं नीतियों को समझ लिया है और मैं जानता हूँ कि मेरे कार्य से संबंधित अतिरिक्त नीतियाँ एवं विधि विशेष हो सकते हैं ।